



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची)
आदेश पत्रक

अमिता देवी (अमृता देवी) वर्गे वनाग... मौ० सावि देवी तगैर

80

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...<u>63</u>.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>ब.स.15</u>... के अप्राथमिकी सं०-<u>16/18</u> दिनांक-<u>26-4-18</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>अमीनी खिताब के चलते उभय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संगठना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति दुख होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति दुख हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि को दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>11-06-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="right">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p>	<p>की गई कार्रवाई</p>

11-06-18.

पीठकी पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 29-06-18 की रविवार।

आदेश की प्रतिलिपि जारी

01-03-19

आमिनीकरण उपस्थापित। कर्मचारी पं०
 अनुपस्थित। कर्मचारी का के 6(दः) का
 की अवधि पूर्ण हो चुकी है। कार्यवाही
 का कालबाधित हो गया है।
 अतः का के आमिनीकरण की कार्यवाही
 बन्द की जाती है।


 01/03/19

2

13